रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2010/फाल्गुन 14, 1931
No. 460] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2010/PHALGUNA 14, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

का.आ. 545(अ).— जैसाकि, केन्द्र सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 5 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 260(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 5 फरवरी, 2010 को प्रकाशित की गई थी, के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त विधि-विरुद्ध संगठन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

[फा. सं. 14017/2/2010-एन.आई.-III]

डॉ. कशमीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2010

S.O. 545(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government have declared the "Students Islamic Movement of India (SIMI)" as an unlawful association *vide* notification number S.O. 260(E) dated the 5th February, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 5th February, 2010.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under Sections 7 and 8 of the above said Act, shall be exercised also by the State Governments and the Union Territory Administrations in relation to the aforesaid unlawful association.

[F. No. 14017/2/2010-NI-III]

Dr. KASHMIR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.